(24)

# बिहार सरकार,
## पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
## कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

**(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)**

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या–व.सं. / 102 / 2020– 942

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना। पटना 14, दिनांक– 16/10/2020

विषय – कैमूर जिला के अधौरा प्रखंड अन्तर्गत कुल लम्बाई 133 KM में पथ किनारे ऑप्टिकल फाईवर केबल बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 3.99 हे० वन भूमि का "सलाहकार (तकनिकी) मुख्य महाप्रबंधक, भारत ब्राडबैन्ड नेटवर्क लिमिटेड़ पटना के पक्ष में" अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय के पत्रांक 11-09/98 FC दिनांक 07.09.2015 एवं पत्रांक FC-11/165/2019-FC दिनांक 27.07.2020 के आलोक में एवं बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, के पत्रांक 1371 (ई०) दिनांक 19.12.2018 द्वारा अपयोजन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से अनुमोदनोंपरान्त स्वीकृति आदेश निर्गत करने का निर्देश दिया गया है।

2. कैमूर जिला के अधौरा प्रखंड अन्तर्गत कुल लम्बाई 133 KM में पथ किनारे ऑप्टिकल फाईवर केबल बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 3.99 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु सलाहकार (तकनीकी) मुख्य महाप्रबंधक, भारत ब्राडबैन्ड नेटवर्क लिमिटेड़, पटना के प्रस्ताव में आवश्यक प्रविष्टि उपरान्त वन संरक्षक, वन्यप्राणी अंचल, पटना के माध्यम से प्राप्त हुआ है जिसमें अपयोजित होने वाली वन भूमि एवं पातित होने वाली वृक्षों की संख्या निम्नलिखित है–

| क्रम सं० | वन प्रमंडल का नाम | क्षेत्रफल (हे० में) | पातित होने वाले वृक्षों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | कैमूर | 3.99 | 0 |
| | **कुल** | **3.99** | **0** |

3. प्रस्तावित ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन कैमूर जिलान्तर्गत अधौरा प्रखंड के विभिन्न पथों के किनारे बिछाया जाना है जो कैमूर वन्यप्राणी आश्रयणी का भाग है। इस क्रम में तालिका के अनुसार कुल 3.99 हे० वन भूमि के अपयोजन एवं शून्य वृक्षों के पातन की अनुशंसा वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर एवं वन संरक्षक, वन्यप्राणी अंचल, पटना द्वारा किया गया है।

**4. वन्यप्राणी आश्रयणी के अन्दर परियोजना प्रस्तावित होने के कारण प्रयोक्ता एजेंसी को इस कार्यालय के पत्रांक 658 दिनांक 03.08.2020 द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।**

23

5. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.1 प्रतिवेदित किया गया है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं कि जाने की सूचना अंकित किया गया है।

6 ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन को मूल टोपो शीट नक्शा पर दर्शाते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित मूल टोपो शीट नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपयोजित होने वाली वन भूमि का Geo Reference Map ऑनलाईन में प्रर्दशित है।

7. परियोजना का निर्माण कैमूर जिलान्तर्गत होना है। अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, कैमूर द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में नहीं है। सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त्तों के अनुपालन के साथ प्रयोक्ता एजेंसी से संशोधित FRA, 2006 प्रमाण पत्र प्राप्त कर Stage-II की कार्रवाई की जायेगी।

8. परियोजना निर्माण के क्रम में वृक्षों का पातन प्रस्तावित नहीं होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक FC-11/165/2019-FC दिनांक 27.07. 2020 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में क्षतिपूरक वनीकरण की अनुशंसा प्रस्ताव के साथ नहीं किया जा रहा है।

9. परियोजना निर्माण हेतु प्रस्ताव की अनुशंसा इस शर्त्त के साथ की जा रही है कि परियोजना प्रस्ताव पर बिहार राज्य वन्यप्राणी पर्षद् एवं राष्ट्रीय वन्यप्राणी पर्षद् प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरान्त Stage-I की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

10. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

i. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।

ii. 3.99 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 24,97,740/– परियोजना प्रस्ताव आश्रयणी में होने के कारण (रू० 24,97,740/–X 5 =1,24,88,700/–) अर्थात् राशि रू० 1,24,88,700/–(रूपये एक करोड़ चौबीस लाख अठ्ठासी हजार सात सौ) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

प्रस्ताव की एक प्रति अनुलग्नक सहित अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न भेजी जा रही है। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

Laying of underground optical fiber cable अपयोजन स्वीकृति का यह आदेश समान्य स्वीकृति के तहत अपयोजन की शक्ति भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को देने के क्रम में अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जायेगा।

अनुरोध है कि प्रस्ताव पर राज्य सरकार की सहमति संसूचित करने की कृपा की जाय, जिसके बाद नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार के द्वारा Stage-I स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा।
अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

16.10.2020

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

**कैमूर जिला के अधौरा प्रखंड अन्तर्गत कुल लम्बाई 133 KM में पथ किनारे ऑप्टिकल फाईवर केबल बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 3.99 हे0 वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव का चेक लिस्ट–**

| क्र० सं० | विवरणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| 1 | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–I | संलग्न। |
| 2 | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी Undertaking | संलग्न। |
| 3 | प्रयोक्ता एजेंसी एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित टोपोशीट नक्शा | संलग्न। |
| 4 | प्रयोक्ता एजेंसी एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित Geo-referenced नक्शा | संलग्न। |
| 5 | वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–II | संलग्न। |
| 6 | वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन | संलग्न। |
| 7 | वन संरक्षक, वन्यप्राणी अंचल, पटना द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–III | संलग्न। |
| 8 | नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा प्रविष्ट प्रपत्र–IV | संलग्न। |

16.10.2020

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

फोन न०–08986153143

ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com